



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 127394

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 19885 वर्ष 2026

भारत सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : राधेश्याम यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं।
2. यह ज़मानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 240/2025 (धारा 103(1) बीएनएस, थाना नवाबगंज, ज़िला फ़र्रुखाबाद) में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है। एफ.आई.आर. में आवेदक का नाम नहीं है। जाँच के दौरान, पुलिस ने सह-आरोपी रेखा और सर्वेश को गिरफ़्तार किया और उनके कबूलनामे दर्ज किए, जिनमें

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उन्होंने हमलावरों में से एक के तौर पर आवेदक का नाम लिया। आगे यह भी कहा गया है कि सह-आरोपी रेखा और सर्वेश के कबूलनामों के अलावा कोई कानूनी रूप से मान्य सबूत नहीं है। सह-आरोपी के कबूलनामे सबूत के तौर पर मान्य नहीं होते हैं। सह-आरोपी रेखा और सर्वेश ने अपने इकबालिया बयानों में सह-आरोपी केशराम उर्फ पुट्टन सिंह का नाम भी लिया था। इस न्यायालय की एक बेंच ने आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या 6458/2026 में 23.2.2026 के आदेश के ज़रिए उक्त सह-आरोपी केशराम उर्फ पुट्टन सिंह को ज़मानत पर रिहा कर दिया है। आवेदक का मामला भी उक्त सह-आरोपी के मामले जैसा ही है। उनका यह भी कहना है कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह 13.12.2025 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत देने की आवेदन का विरोध किया, हालाँकि, वे इस तथ्य को नकार नहीं सके कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-अभियुक्त, यानी केशराम उर्फ पुट्टन सिंह को इस न्यायालय की एक बेंच ने ज़मानत दे दी है।

5. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखा है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपी, यानी केशराम उर्फ पुट्टन सिंह को इस न्यायालय की एक बेंच ने ज़मानत दे दी है और उस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न तो रद्द किया है और न ही उस पर रोक लगाई है, और साथ ही आवेदक 13.12.2025 से जेल में बंद है, इसलिए मुझे आवेदक को ज़मानत पर रिहा करना उचित लगता है।

7. ज़मानत की आवेदन **मंज़ूर** की जाती है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. आवेदक- **भारत सिंह**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करे। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह लिखित वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और सबूत पेश करने के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(ii) आवेदक को तय तारीखों पर विचारण न्यायालय में खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के मौजूद नहीं रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) अगर आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है और उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 82 / बी.एन.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और अगर आवेदक उस उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (1) मुकदमा शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर और (3) सीआर.पी.सी. की धारा 313 के तहत बयान

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहा है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकता है।

9. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियों का विचारण न्यायाधीश की उस स्वतंत्र राय पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो वे गवाहों की गवाही के आधार पर बनाएंगे।

16 जून, 2026

ललित शुक्ला

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”